राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 10.05.2021

आदेश

कोविड–19 से संक्रमित अस्पताल में भर्ती मरीजों के एकाकीपन व उसके कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के साथ ही अटेण्डेन्ट के कारण संक्रमण की संभावना तथा वार्ड में सुचारू व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. कोविड संक्रमित मरीज के साथ उसके परिवार/रिश्तेदार में से एक समय पर किसी एक परिजन को अटेण्डेन्ट के रूप में कोविड संक्रमण से बचाव के निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए साथ रहने की अनुमति दी जावे।
2. संक्रमित मरीज के साथ रहने वाले अटेण्डेन्ट का सम्पूर्ण ब्यौरा यथा नाम, घर का पता व दूरभाष नम्बर आदि अस्पताल प्रशासन द्वारा रखते हुए अटेण्डेन्ट को पास जारी किया जावें।
3. संक्रमित मरीज के साथ रहने वाले अटेण्डेन्ट को आवश्यकतानुसार दवाई का किट अस्पताल में ही उपलब्ध करवाया जाए।
4. संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज होने पर अटेण्डेन्ट का भी आरटी–पीसीआर टेस्ट कराया जावे।
5. संक्रमित मरीज के पास अटेण्डेन्ट के रूप में परिवार/रिश्तेदार में से एक समय में एक ही परिजन को साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाए। इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक होने पर यदि एक से अधिक अटेण्डेन्ट को पास दिये जाए तो उनमें साथ रहने के समय का अंकन भी किया जाए।

उक्त आदेशों की कडाई से पालना की जावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
14. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
15. कोविड–19 उपचार हेतु अधिकृत समस्त राजकीय/निजी चिकित्सालय, राज.
16. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
17. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव